88

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश

ग्वालियर (म.प्र.)

I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/3075

1. शेषराव पिता स्व. पंढरी
2. बेबी पिता स्व. पंढरी
3. छबि पिता स्व. पंढरी
4. निर्मला पिता स्व. पंढरी
5. प्रमिला पिता स्व. पंढरी
6. सुनीता पिता स्व. पंढरी
7. राजा पिता स्व. बाबूलाल
8. रमन पिता स्व. बाबूलाल
9. कमल विधवा स्व. बाबूलाल

सभी जाति कुनबी, सभी निवासी – खजरी, मौजा खजरी, प.ह.नं. 09
ब.नं. 84, रा.नि.मं. छिंदवाड़ा–2 तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

——— पुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदकगण

विरुद्ध

अजाबराव पिता स्व. तिमाजी
निवासी – खजरी, मौजा खजरी, प.ह.नं. 09
ब.नं. 84, रा.नि.मं. छिंदवाड़ा–2 तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

——— उत्तरवादी / आवेदक

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण – न्यायालय – नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा–2 मौजा–खजरी, मौजा खजरी, प.ह.नं. 09 ब. नं. 84, रा. नि. मं. छिंदवाड़ा–2 तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) **पक्षकार** – अजाबराव पिताा तिमाजी सीमांकन दिनांक 10.06.2017 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :–

क्र. पेज 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/छिंदवाडा/भू.रा./2017/3075

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
14–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 चौधरी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायव तहसीलदार तहसील व जिला छिंदवाडा में पारित आदेश दिनांक 10.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाडा जिला छिंदवाडा के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाडा	